कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, म.प्र.भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/20225/2016 / 3836 भोपाल, दिनांक 09/12/19

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बैढ़न के संरक्षित वनखण्ड दुधीचुआ के विभिन्न कक्षों की रकबा 370.152 हे. वनभूमि एवं सिंगरौली के ग्राम चूरीदेह, झिंगुरदह के विभिन्न खसरो की 20.112 हे. राजस्व वनभूमि कुल 390.264 हे. वन/राजस्व वनभूमि में बीना ककरी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन का मेसस नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. का प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 8-69/2018-FC दिनांक 03.05.2019

———0———

इस प्रस्ताव पर दिनांक 28.03.2019 को आयोजित एफ.ए.सी. की बैठक में विचार किया गया था। विचारोपरांत इस प्रस्ताव पर एफ.ए.सी. द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी :–

1- The State Govt. was advised to review the proposal and submit report in the light of above estimated area under VDF & MDF. They are also requested to redraw the proposed diversion proposal on the lines of analysis of Amelia Coal Block by FAC, excluding the certain area from proposal. For this purpose, State Govt. may seek help from FSI Nagpur.

2- The state government should give justification for proposing the part of Elephant Corridor area for diversion.

3- The state Government should also give justification for proposing the CA area which is already covered under some plantation.

इस संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

बिन्दु क्रमांक–1 :– जिस प्रकार अमिलिया परियोजना में एफ.एस.आई., नागपुर से विचार विमर्श कर अधिक घनत्व के वनों को प्रस्ताव से पृथक कर लिया गया था, उसी अनुसार कार्यवाही करने के लिये आवेदित वन क्षेत्र की KML फाईल को एफ.एस.आई., नागपुर भेजा गया। एफ.एस.आई., नागपुर द्वारा इस वन क्षेत्र की KML फाईल का अध्ययन कर यह अवगत कराया गया कि प्रस्तावित वन क्षेत्र के बीचो–बीच दो पैचेस में अत्यन्त घना वन आ रहा है, जिसे हटा कर क्षेत्र को कम किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार इस प्रस्ताव में सम्मिलित वन क्षेत्र को अमिलिया परियोजना की तरह कम किया जाना सम्भव नहीं है। अमिलिया परियोजना में सघन वन प्रस्तावित खदान के उपरी हिस्से में एक स्थान पर केन्द्रित था जबकि बीना काकरी अमलगमेशन परियेाजना के वन क्षेत्र में सघन वन अलग–अलग पाकेट में फैला हुआ है।

इस संबंध में एन.सी.एल. के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सिंगरौली जिले में मोहिर सब बेसिन कोल ब्लॉक का कुल रकबा लगभग 31200 हेक्टेयर है। इस 31200 हेक्टेयर रकबे में से 19422 हेक्टेयर रकबा में अभी कोल उत्खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित बीना काकरी अमलगमेशन परियेाजना का क्षेत्र पूर्व से उत्खनित क्षेत्र से लगा हुआ है तथा इस परियोजना के पीछे की ओर का क्षेत्र भी भविष्य में कोल उत्खनन हेतु उपयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एन.सी. एल. के अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में उन्नत तकनीक से कोयला उत्खनन किया जाता है। इस कार्य के लिये उनके पास 04 ड्रेग लाईनर मशीने उपलब्ध है। यह मशीने ईको फ्रेन्डली है। एन.सी.एल. के अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अमिलिया परियोजना में न्यूनतम 4 कि.मी. की चौड़ाई में कार्य करने के लिये क्षेत्र उपलब्ध है, जबकि उनके द्वारा बीना काकरी अमलगमेशन परियेाजना में केवल 3.5 कि.मी. की पट्टी की ही मांग की गई है। अतः एन.सी.एल. द्वारा आवेदित वन क्षेत्र में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में एन.सी.एल. द्वारा दिये गये पत्र की छायाप्रति भी संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक–2 :– सिंगरौली वन मंडल की कार्य आयोजना में इस क्षेत्र को हाथी कॉरीडोर के रूप में दर्शाया गया है। इस बिन्दु पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को प्रस्ताव की प्रति भेजकर उनका अभिमत भी प्राप्त किया गया है। इस प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा निम्नानुसार टीप अंकित की गई है :–

> "सिंगरौली की कार्य आयोजना में कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा विषयांकित क्षेत्र को हाथी कॉरीडोर के रूप में दर्शाया गया है। विषयांकित एवं इसके आस–पास का क्षेत्र एतिहासिक रूप से हाथी कॉरीडोर रहा है। इस क्षेत्र में खदानों की स्वीकृति एवं अन्य कारणों से कॉरीडोर का विघटन हुआ है एवं पिछले कई वर्षों से यहॉ पर हाथियों की उपस्थिति नहीं पाई गई है।
>
> उपरोक्त पृष्ठभूमि में समग्र परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। वन्यप्राणी कक्ष के अभिमत के साथ नस्ती आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।"

इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि सिंगरौली जिले में छत्तीसगढ़ राज्य से हाथी का आवागमन होता है। प्रस्तावित वन क्षेत्र पूर्व से उत्खनित कोयला क्षेत्र के पीछे की ओर है जहॉ हाथियों का आना सम्भव नहीं है। इस तथ्य पर राज्य शासन स्तर पर एक बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया जा चुका है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र से संलग्न वन क्षेत्र में दुधीचुआ खदान के लिये 467.809 हेक्टेयर की सैद्धान्तिक सहमति भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 19.04.2018 से दी जा चुकी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक की टीप की छायाप्रति संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक–3 :– एन.सी.एल. द्वारा इस परियोजना के लिये 390.264 हेक्टेयर की मांग की गई है। इसी अनुसार दुगने वन क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिये कुल 800 हेक्टेयर बिगड़े वनों का चयन किया गया था।

इस परियोजना में सम्मिलित 390.264 हेक्टेयर में से लगभग 36.5 हेक्टेयर का क्षेत्र पूर्व से ही दुधीचुआ खदान हेतु प्रस्तावित 467.809 हेक्टेयर में सम्मिलित है। दुधीचुआ खदान का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/13685/2015 है। इस प्रकार बीना काकरी अमलगमेशन परियोजना के लिये (390.264 – 36.5 = **353.764 हेक्टेयर**) की ही आवश्यकता है। इस वन क्षेत्र के लिये रोपण हेतु दुगने बिगड़े वन 707.528 हेक्टेयर की ही आवश्यकता है। इस आवश्यकता के विरूद्ध 715 हेक्टेयर बिगड़े वनों का चयन किया गया है, जिसकी KML फाईल भाग–2 में अपलोड है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में 353.764 हेक्टेयर की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

09/12/19

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–1/ FP/MP/MIN/20225/2016/ 3837 भोपाल, दिनांक 09/12/19

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, रींवा वृत्त रींवा, मध्य प्रदेश।
2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्य प्रदेश
3 मेसर्स नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, महाप्रबंधक बिना विस्तार परियोजना, सोनभद्र उत्तर प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

09/12/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल